न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—271/2023/223 आर.टी.एक्ट (2023/271)

1. भौरीलाल पुत्र स्व कल्याण
2. सांवलराम पुत्र स्व0 बलदेव फौत जरिए वारिसान
   2/1 तुलसीराम पुत्र स्व0 सांवलराम
   2/2 मुरारीलाल पुत्र स्व0 सांवलराम
   2/3 कजोडमल पुत्र स्व0 सांवलराम
   2/4 रामधन पुत्र स्व0 सांवलराम
   2/5 जयाबाई पत्नि स्व0 सांवलाराम
3. हरिनारायण पुत्र स्व0 कल्याण
4. शंकरलाल पुत्र स्व0 कल्याण
5. भरतलाल पुत्र स्व0 कल्याण
6. सांवतराम पुत्र स्व0 कल्याण
7. सीताराम पुत्र स्व0 रामसहाय
8. बदरी पुत्र स्व0 काल्या
9. मोहनलाल पुत्र स्व0 काल्या
10. प्रहलाद पुत्र स्व0 काल्या
11. रामप्यारी पत्नि स्व0 काल्या (फौत नाम तर्क)
12. फोरन्ती पुत्री स्व0 काल्या
13. हंसराज पुत्र स्व0 कैलाश
14. उगन्ती पुत्री स्व0 कैलाश
15. काली पुत्री स्व0 कैलाश
16. ममता पुत्री स्व0 कैलाश
17. संतोष पुत्री स्व0 कैलाश
18. ललिता पुत्र स्व0 कैलाश
19. अनिता पुत्री स्व0 कैलाश
20. बबीता पुत्री स्व0 कैलाश
21. कमला बेवा स्व0 कैलाश
    समस्त जाति मीना निवासी बोरदा तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर।
22. बच्ची पुत्री स्व0 कल्याण पत्नि जगराम जाति मीना निवासी बाढरामपुरा तहसील निवाई जिला टोंक।

अपीलांट्स

बनाम

1. अर्जुन पुत्र स्व0 रामकरण
2. जगदीश पुत्र स्व0 रामकरण
3. राजेश पुत्र स्व0 रामकरण
4. मीठालाल पुत्र स्व0 रामकरण
   समस्त जाति मीना निवासी बोरदा तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बौंली हाल तहसील मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपजिला कलक्टर, बौंली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.2021 राजस्व वाद संख्या 61/2020.

उपस्थितः—

1. श्री समीर अहमद खान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री उमेश कुमार अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4
3. श्री अभिषेक शर्मा/शांतिप्रकाश औझा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4
4. श्री विकास पराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5

निर्णय

दिनांकः—25.06.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर, बौंली द्वारा प्रकरण संख्या 61/2020 में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा व इंद्राज दुरूस्ती बाबत विरूद्ध वर्तमान अपीलांट प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को दिनांक 28.09.2021 को बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर, बौंली द्वारा प्रकरण संख्या 61/2020 में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2021 जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निर्णय व डिक्री जैरे अपील की सर्वप्रथम अपील सदभाविक भूल व गलत कानूनी राय मिलने के कारण प्रार्थीगण ने न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर में पेश कर दी जहां उन्होंने दिनांक 13.12.2021 को सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने का आदेश देकर अपील ड्रोप कर दी लिहाजा संभागीय आयुक्त भरतपुर के आदेश से अंदर अवधि अपील न्यायालय में पेश है एवं अपील पेश करने में हुई डिले क्षमा योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील को अंदर मियाद शुमार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 लिमिटेशन एक्ट के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को सब कानूनी जानकारी थी प्रार्थी द्वारा जानबूझकर उक्त अपील को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में देरी की गई है। प्रार्थी द्वारा अपनी अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के कोई सदभाविक कारण न्यायालय हाजा के समक्ष बताने में विफल रहे है क्यों कि उनके द्वारा बताए गए कारण संतोषजनक प्रतीत नहीं होते है। अतः उक्त अपील को अंदर मियाद शुमार नहीं किया जाकर मियाद बाहर मानते हुए इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 लिमिटेशन एक्ट में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम उक्त प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना उचित समझते है। चूंकि प्रार्थी द्वारा उक्त अपील को बिना कानूनन जानकारी के अनभिज्ञता में किसी अन्य

न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। चूंकि प्रार्थी द्वारा उक्त अपील को न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर में प्रस्तुत की गई तथा न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा दिनांक 13.12.2021 को अपील ड्रोप कर आदेश दिए कि उक्त अपील को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत की जावे। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त अपील को हाजा न्यायालय के समक्ष बिना देरी के प्रस्तुत किया गया। अतः न्यायालय का यह मत है कि उक्त अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए ना कि तकनीकि बिंदु पर क्यों कि कानूनी ज्ञान के अभाव में किसी को उसके हक अधिकार सें वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए न्यायालय हाजा द्वार उक्त अपील को अंदर मियाद स्वीकार किया जाता है व प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत किए जाने में हुई सदभाविक देरी को क्षमा किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रार्थना पत्र तहत 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में पेश किया गया जो मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध पेश किया गया क्योकि प्रार्थना पत्र में दर्ज अप्रार्थी संख्या 3 भूली की मृत्यु दिनांक 20.10.17 को हो चुकी थी इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 12 कैलाश की मृत्यु 11.04.2020 को हो चुकी थी जिनके विरूद्ध मुकदमा पेश किया गया जो विधि विरुद्ध है कैलाश के वारिसन को बिना सुने व बिना रिकार्ड पर लिये निर्णय व डिक्री पारित की गई है जबकि हम अपीलान्ट (कैलाश के वारिसान) कैलाश की मृत्यू उपरान्त दर्ज खातेदार है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 11 धापू की भी मृत्यू 18.04.2021 को हो गई थी जिस बाबत भी कोई कार्यवाही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा नहीं की गई इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व डिक्री मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध होने के कारण अवैध व शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त अपीलान्ट की तामील नहीं कराई गई थी, न्यायालय द्वारा तारीख 05.04.2021 को सम्मन तलवाना से तलब करने का आदेश दिया था रजिस्टर्ड डाक से तलबी का आदेश नहीं था और रेस्पोडेन्ट द्वारा सम्मन तलवाना पेश नहीं किये गये व बिना न्यायालय के आदेश के रजिस्टर्ड डाक से दीगर तामील करवाई गई है जबकि रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजने की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना व बिना विधिवत तामील कराये प्राकृतिक न्याय क सिद्वान्त के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश व डिक्री पारित की है जो निरस्त होने योग्य है। प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 एल० आर० एक्ट के नोटिस अप्रार्थी संख्या–1 तहसीलदार पर होना बताया है लेकिन उन्हें जबाब पेश करने का अवसर ही नहीं दिया गया जो अवैध है। धारा 136 के प्रार्थना पत्र में उद्घोषणा का निर्णय पारित किया है जो न्यायिक भूल है तनकी भी नहीं बनाई गई एंव समरी ट्रायल द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने उनके खातेदारी अधिकारो में कटौती की है जो पक्षपात पूर्ण होने से निरस्तनीय है। विवादित आराजीयात में से 13 बीधा 12 बिस्वा जमीन जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 552 लगायत 558, 586 एंव 588 लगायत 593 वाके ग्राम बोरदा तहसील मित्रपुरा है उसमें अपीलान्ट एंव रामकरण के नाम नामान्तकरण दिनांक 25.12.64 को खुला था जिसमें कब्जे के आधार पर कल्याण, काल्या, रामसहाय, सांवल्या पुत्रान बलदेवा, व रामकरण पुत्र गंगाराम हिस्सा बराबर का खोला गया था हाडी रानी साहिबा से जमीन के कब्जे व खरीद के आधार पर खोला गया था जिसमें दिनांक 25.12.64 से ही रामकरण व तत्पश्चात अपीलान्ट का 1/5 हिस्सा ही दर्ज रहा है जिसे मात्र कयास के आधार पर व कब्जे का कोई सबूत नहीं होने पर भी गलत रुप से अधीनस्थ न्यायलय ने 1/5 के स्थान पर 1/2 हिससा मानकर गलती की है लिहाजा उक्त खसरा नम्बरान बाबत अधीनस्थ न्यायालय का फैसला निरस्तनीय है। उक्त खसरा नम्बरो में 4/5 हिस्से पर आज भी अपीलान्ट का कब्जा है एंव 1/5 हिस्सा रामकरण एंव उसके फौत होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज है जिसका भली भाँति इल्म रेस्पोडेन्ट को रहा है यह भूमि कभी भी पैतृक नहीं रही अर्थात कभी भी पॉचूराम या गंगाराम या बलदेव के नाम दर्ज ही नहीं रही तब 56 साल पश्चात तहत धारा 136 एल० आर० एक्ट दर्ज खातेदारी को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है रेस्पोडेन्ट

संख्या 1 लगायत 4 का प्रार्थना पत्र तहत धरा 136 एल० आर० एक्ट समय बाधित था एंव चलने योग्य नहीं था। साबिक खसरा नम्बर 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, कुल रकबा 40 बीधा 9 बिस्वा वाके ग्राम बोरदा तहसील मित्रपुरा कल्याण, काल्या, रामसहाय, सांवल्या पिसरान बलदेवा से जरिये नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 29.04.57 से रामकरण का नाम बढाया गया है जो भी गैर कानूनी है क्योकि इस तरह तहसीलदार किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दे सकता है। रजामंदी से खातेदारी नहीं बदलती बल्कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के मुताबिक केवल विक्रय, दान, वसीयत, आदि से या न्यायालय की डिकी से ही खातेदारी बदली जा सकती है उक्त नामान्तकरण के जरिये रेस्पोडेन्ट के पिता को 1/5 भूमि दी गई है जो भी गलत है एंव विधि विरूद्व है जिसकी अपील अपीलान्ट ने माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में कर रखी है जो विचाराधीन है। इस प्रकार उक्त नामान्तकरण से हिस्सा 1/5 को 1/2 मानकर गलत रुप से अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री जैरे अपील पास की है जो निरस्तनीय है हालांकि उक्त आराजीयात में रेस्पोडेन्ट का कोई हिस्सा किसी भी कदर नहीं बनता क्यों कि यह आराजी कभी भी पैतृक नहीं रही अर्थात कभी भी पॉचूराम के नाम दर्ज नहीं रही है। धारा 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट के प्रार्थना पत्र में धारा 209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के आधार पर फैसला देना अवैध है क्योंकि टीनेन्सी एक्ट में तो दावा ही पेश नहीं हुआ। धारा 209 केवल टीनेन्सी एक्ट पर लागू है जो लेण्ड रेवन्यू एक्ट पर नहीं। धारा 209 टीनेन्सी एक्ट केवल सीमित तरह के दावों पर लगता है वो भी अगर इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया हो तो तनकीयात बनाना आवश्यक है प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट को रेग्यूलर दावे में ट्रीट नहीं किया जा सकता था अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्तनीय है। अपीलान्ट बच्ची अपने ससुराल बाढ रामपुरा तहसील निवाई जिला टोंक, भरतलाल व सांवलराम सरस्वती कॉलोनी निवाई में रहते है इसी प्रकार मोहनलाल प्लाट संख्या ए–75 अशोक विहार जगतपुरा जयपुर व फौरन्ती अपने ससुराल ग्राम पोस् लालपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर रहती है जिनके उपर गलत तामील दिखाकर एकपक्षीय कार्यवाही की गई है अपीलान्ट के उक्त पत्रों पर कभी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस नहीं भेजे गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 05.04.2021 को व दिनांक 23.07.2021 व दिनांक 05.08.2021 को किया गया एकतरफा कार्यवाही का आदेश बिना प्रोपर तामील कराये दिया गया होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 4/5 व 1/5 विवादित भूमि 13 बीधा 12 बिस्वा वाके ग्राम बोरदा पर व अपीलान्ट अकेले भूमि 40 बीघा 9 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम बोरदा पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा नहीं है। अपीलान्ट तदनानुसार लगान अदा कर रहे है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री को तहत धारा 136 एल आर एक्ट दिया जाकर न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय में अन्दर मियाद अपील पेश कर दी थी जहां से उन्होंने स्थगन भी जारी किया था लेकिन दिनांक 13.12.2021 को उन्होंने उक्त निर्णय व डिक्री को टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत मानकर अपील को ड्रोप कर दिया व सक्षम अदालत में अपील पेश करने का आदेश दिया लिहाजा न्यायालय में अपील पेश की जा रही है जो एक सदभाविक भूल है लिहाजा न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय में जाया समय का मुजरा तहत धारा 14 लिमिटेशन एक्ट अपीलांट प्राप्त करने के अधिकारी है एवं अपील अंदर मियाद शुमार करवाने के अधिकारी है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर, बौंली द्वारा प्रकरण संख्या 61/2020 में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि अपील के बिन्दु संख्या 1 स्वीकार योग्य नही है क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के तहत व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी

साक्ष्या के आधार पर ही पारित की गई है इसलिये अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारीज योग्य है। अपील का बिन्दु संख्या 2 भी स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करके ही निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को देखने मात्र से ही स्पष्ट होता है। इसलिये अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई कानूनी बल नहीं होने से काबिले खारीज योग्य है। अपील बिन्दु संख्या 3 कानूनन प्रावधानों के विपरीत होने से स्वीकार नहीं है क्योकि प्रथमत् तो मृतक भूली देवी व कैलाश के वारिसानों ने जमाबन्दी में संशोधन नहीं करवाया और द्वितीय यह कि भूली देवी व घापू के वारिसानों पूर्व से ही रिकार्ड पर है और कैलाश के मृत्यु के बाद उसके वारिसानों के नाम तस्दीक नामान्तरण भी हो चुका है इसिलये उक्त तथ्य से विचारण न्यायालय द्वारा पारित निणर्य व डिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पडता है इसिलये उक्त अपील में कोई भी कानूनी बिन्दु नियत होने से खारीज की जावे। अपील के बिन्दु संख्या 4 भी पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विपरीत होने से स्वीकार नहीं है क्योकि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि सभी पक्षकारों को रजिस्ट्रर एडी नोटिस जारी हुये और जिनकी रसीदें पत्रावली में संलग्न है इसलिये उक्त आधार भी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से अपील खारीज योग्य है। बिन्दु संख्या 5 भी स्वीकार नहीं है क्योंकि प्रथम तो अपीलांट किसी उक्त के आधार को अपनी ढाल नहीं बना सकता है और द्वितीय यह कि यह कि तथ्य रखना है तो स्वयं वह भी व्यक्ति रख सकता है जिसको कोई परेशानी हो ओर तृतीय यह कि तहसीलदार साहब को नोटिस तामील होने के बाद उन्हें जबाब पेश करने को समय दिया गया था जिन्होंने पेश नहीं किया और उनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई व न ही कोई अपील पेश की है इसिलये उक्त अपील में कोई बल नहीं होने से खारीज किया जाना न्यायासंगत है। बिन्दु संख्या 6 स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि वादीगण/रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट में दौराने कार्यवाही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 209 आर टी एक्ट प्रस्तुत कर दिया था जिसके आधार पर विचारण न्यायायल उक्त प्रार्थना पत्र 136 को एक दावा की तरह मानते हुये सम्पूर्ण कार्यवाही कर प्रकरण को निणर्य एक दावे की तरह किया था जो कि प्रावधानो के अनुरूप सही था इसिलये भी अपीलांटस द्वारा उठाया गया बिन्दु विधिक प्रावधानो के विपरीत होने से अपील काबिले खारीज है। बिन्दु संख्या 7 स्वीकार नहीं है क्योंकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी रिकार्ड जिन पर प्रदर्श अंकित है से साबित है कि उक्त पैरा में अंकित भूमि में वादीगण के पिता/पूर्वज का 1/2 हिस्सा अंकित था लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने बन्दोबस्त के दौरान हिस्सा 1/2 के स्थान पर 1/5 अंकित कर दिया जो कि गलत था इसिलये अपीलांटस के उक्त आधारों पर प्रस्तुत अपील पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से काबिले खारीज है। बिन्दु संख्या 8 स्वीकार नहीं है क्योकि प्रथम तो यह कि जब अंकित उक्त विवादित आराजी कभी भी पैतृक ही नहीं रही है तो जो वादीगण का नाम उक्त आरजी में 1/5 दर्ज किया गया जिसको कभी भी चैलेंज नहीं किया गया जिससे यह साबित होता है कि उक्त बिन्दु में अंकित आराजी पूर्व से ही पैतृक रही है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से साबित है द्वितीय यह कि वादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित कर दिया था कि उक्त आराजी पूर्व से पैतृक रही है जिस पर बराबर हिस्सानुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है। बिन्दु संख्या 9 कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने से स्वीकार नहीं है विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानो के अनुरूप ही निर्णय पारित किया गया है जो कि सही है। अपील के बिन्दु संख्या 10 व 11 तकनीकी होने से स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि सभी को नोटिस प्रोपर तामील हुये थे ओर तामील होने के बाद ही उनके उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय ने उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये थो जो सही है इसलिये भी उक्त बिन्दु के आधार पर अपील को कोई बल नहीं मिलता है। बिन्दु संख्या 12 स्वीकार नहीं है क्योंकि उक्त आराजी पर आज दिनांक तक बहिस्सा बराबर काबिज काश्त कर रहे है। बिन्दु संख्या 13 आंशिक स्वीकार है

लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध मियाद बाहर अपील संभागीय आयुक्त भरतपुर के समक्ष पेश की थी उक्त समय को कन्डोन करने हेतू कोई रिलीफ नही मांगी है इसिलये उक्त अपील मियाद बाहर होने से काबिले निरस्ती योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वादीगण/रेस्पोडेन्टस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर बौंली, जिला सवाई माधोपुर में के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 दिनांक 26.10.2020 को पेश किया गया, जिसे दर्ज कर प्रतिवादीगण/अपीलांटस को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.04.2021 को अप्रार्थी संख्या 1, 5, 6, 10, 11, 15 को जारी नोटिस तामील मानते हुए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई, अप्रार्थी संख्या 3, 12 की फौती रिपोर्ट प्राप्त होना बताया तथा प्रार्थी को कायम मुकाम किये जाने बाबत निर्देशित किया। अप्रार्थी संख्या 2 ,4 ,7 लगायत 9,13,14 व 16, 17 की प्रोपर तामिल नही है तथा सही पते के नोटिस पेश किये जाने की हिदायत दी गई।

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नोटिस की प्रतियों का अवलोकन किया तो पाया कि प्रतिवादीगण भौरीलाल एवं हरिनारायण को दिनांक 18.01.2021 को जारी नोटिस की पुष्ट पर तहसीलदार द्वारा तामिल/अदम तामिल की कोई रिपोर्ट तथा मोहर/सील नहीं है। प्रतिवादी सीताराम तथा धापू को जारी नोटिसो में आगामी पेशी बाबत कोई अंकन नहीं है तथा उक्त नोटिस बिना तारीख पेशी के रिक्त जारी किये गये है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रतिवादीगण को जारी नोटिस तामिल मानकर अविधिक रूप से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। है। प्रतिवादी संख्या 2, 4 ,7 लगायत 9, 12, 14, 16 व 17 को जारी नोटिस में की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी संख्या 02 सांवलराम को जयपुर अस्पताल में भर्ती होना बताया है, तथा प्रतिवादी संख्या 04 बच्ची को ससुराल में निवास करना बताया है, प्रतिवादी संख्या 7 शंकरलाल यहां नहीं रहता है तथा बाहर नौकरी करना बताया है, प्रतिवादी संख्या 8 भरतलाल को टोंक नौकरी करना बताया है, प्रतिवादी संख्या 9 सावंतराम को टोंक रहना बताया है, प्रतिवादी संख्या 14 मोहनलाल को जयपुर निवास करना बताया है, प्रतिवादी संख्या 13, 15, 16 को जारी नोटिस में आगामी पेशी तारीख बाबत कोई अंकन नहीं है तथा उक्त नोटिसों की पुष्ट पर प्रतिवादी संख्या 15 द्वारा लेना बताया है उक्त नोटिस पर भी तहसीलदार की नोटिस तामिल/अदम तामिल की कोई रिपोर्ट अंकित नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 2, 4, 7 लगायत 9, 13, 14, 16, 17 को जारी नोटिसों की रिपोर्ट अदम तामिल आने पर सही पते के नोटिस पेश करने बाबत हिदायत दी गई, किन्तु अभिभाषक वादी ने पुनः उन्ही पतों पर बिना न्यायालय के आदेश के रजिस्टर्ड एडी नोटिस/सम्मन पेश किये गये उक्त अविधिक रूप से पेश किये गये नोटिसों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच किये ही बिना रजिस्टर्ड एडी के आदेश दिये ही पुनः पूर्व में अदम तामिल व बाहर रहने बाबत की गई नोटिस की रिपोर्टो पर ही गलत रूप से गलत पतों पर रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी कर उन्हे अविधिक रूप से तामिल मानकर गैर कानूनी रूप से दिनांक 23.07.2021 को उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 23.07.2021 को वादी द्वारा धारा 209 आर0टी0एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया। तथा प्रतिवादी संख्या 13 एवं 16 की तामिली शेष मानते हुए उनके रजिस्टर्ड एडी नोटिस पेश करने बाबत आदेश दिया जाकर पत्रावली में आगामी तारीख 05. 08.2021 नियत की गई।

प्रतिवादी संख्या 03 भूली एवं प्रतिवादी संख्या 12 कैलाश को जारी किए गये नोटिसों पर फौतगी की रिपोर्ट आने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को कायम मुकाम की कार्यवाही करने बाबत आदेश दिये गये थे। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 और 12 की कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं कर, प्रार्थना पत्र दिनांक 13.09.2021 को पेश किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 03 एवं 12 का नाम हजफ करने का अंकन किया गया। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 13.09.2021 को प्रस्तुत किया गया किन्तु उससे पूर्व ही दिनांक 23.07.2021 की आदेशिका के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थी संख्या 13 एवं 16 की तामिली शेष है जिसकी तामिली बाबत रजिस्टर्ड एडी सम्मन पेश किये जाने की वादी अभिभाषक को हिदायत देते हुए पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 05.08.2021 नियत की गई। दिनांक 05.08.2021 को प्रतिवादी संख्या 13 एवं 16 की तामिली व प्रतिवादी संख्या 03 एवं 12 की कायम मुकाम कार्यवाही बाबत नियत की जानी चाहिए थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.2021 को पत्रावली को अविधिक रूप से वादी साक्ष्य में नियत कर वकील वादी द्वारा पेश किये गये शपथ पत्रों पर अविधिक रूप से वादी साक्ष्य ली गई, जबकि पत्रावली दिनांक 05.08.2021 को वादी साक्ष्य में नियत ही नही थी।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कानूनी प्रावधानों की अवहेलना करते हुए वादी से पूर्व की आदेशिकाओं की पालना कराये बिना ही अविधिक रूप से पत्रावली को वादी साक्ष्य में नियत कर वादी द्वारा पेश की गई साक्ष्य को रिकार्ड पर लिया गया है।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांटस को सम्यक एवं विधिवत रूप से नोटिस तामिल नहीं करवाकर तथा मृतक व्यक्तियों (प्रतिवादीगण) की कायम मुकाम कार्यवाही पर किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं कर मृतक पक्षकारान के विरूद्ध वादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 136 एलआरएक्ट में धारा 209 का आधार लेकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना हीं वादी के पक्ष में उदघोषणा की अविधिक निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है।

इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त आराजी बाबत पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श पी 13 एवं पी 14 का अवलोकन करने पर पाया कि प्रदर्श पी 14 जमाबंदी संवत 2009 से 2012 है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व/लागू होने के समय का है। प्रदर्श पी 14 जमाबंदी संवत 2009 से 12 दर्ज साबिक खसरा नम्बर में खातेदार के कॉलम में प्रतिवादीगण के पूर्वज कल्याण, काल्या, रामसहाय एवं सावंलराम पुत्रगण बलदेव जाति मीणा निवासी ग्राम बोरदा तहसील बौली, जिला सवाई माधोपुर खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रदर्श पी 3 नामान्तरण का अवलोकन किया गया, उक्त नामान्तकरण बिना सक्षम अधिकारी अधिकारी के आदेश, बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज या बिना किसी न्यायालय के आदेश के अविधिक रूप से अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अंकन किया गया है, उक्त नामान्तकरण को किस आदेश से भरा गया है व किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है ऐसा कोई उल्लेख उक्त नामान्तकरण में नहीं है।

उक्त अविधिक नामान्तरकरण में प्रतिवादीगण के पूर्वज कल्याण, काल्या, रामसहाय एवं सावंलराम पुत्र बलदेव की नामान्तकरण की पुष्ट पर सहमति अंकित करते हुए प्रतिवादीगण के चारो पूर्वजों के साथ रामकरण पुत्र गंगाराम को उनके साथ बराबर का खातेदार अर्थात 1/5 हिस्सा अंकित करने का अंकन है। उक्त अंकन में प्रतिवादीगण के पूर्वजों के किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं है ना ही सहमति बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है उक्त नामान्तकरण का अवलोकन करने पर यह प्रतीत नहीं होता है कि उक्त नामांतरकण तत्समय स्वीकृत हुआ या अस्वीकृत है।

उक्त अविधिक नामान्तकरण की पालना में उक्त नामान्तकरण के बाद मुर्तिब की गई जमाबंदी प्रदर्श पी 13 जमाबंदी संवत 2013 से 2016 में खातेदार के कॉलम में

प्रतिवादीगण के पूर्वज कल्याण, काल्या, रामसहाय एवं सावंलराम पुत्रगण बलदेव के साथ 1/5 हिस्से का खातेदार वादीगण के पूर्वज रामकरण पुत्र गंगाराम दर्ज किया गया। उक्त अंकन को कानूनी रूप से विधिक नहीं माना जा सकता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अविधिक नामातंकरण को आधार बनाकर अविधिक नामांतकरण में दर्ज वादीगण के पूर्वज के नाम दर्ज 1/5 हिस्से से बाहर जाकर गलत रूप से वादीगण को 1/2 हिस्से की उद्घोषणा करते हुए खातेदार दर्ज करने के त्रुटि पूर्ण आदेश पारित किये है।

प्रदर्श पी 12 जमाबंदी का अवलोकन किया गया उक्त प्रदर्श में खातेदार के कॉलम में ठकुरानी हाडी जी दर्ज है, उक्त जमाबंदी में नामांतकरण संख्या 104 दिनांक 25.12.1964 का नोट अंकित है, उक्त नामांतरण से साबिक आराजीयात वादीगण के पूर्वज रामकरण पुत्र गंगल्या व प्रतिवादीगण के पूर्वज कल्याण, काल्या, रामसहाय एवं सावंलराम पुत्रगण बलदेव को 1/5 – 1/5 बराबर–बराबर खातेदारी दर्ज करने का अंकन है। उक्त जमाबंदी के आधार पर उक्त जमाबंदी के साबिक खसरा नम्बर में वादीगण के पूर्वज रामकरण पुत्र गंगाराम का 1/5 हिस्सा ही दर्ज है। उक्त अंकन को नजरअंदाज करते हुए नामांतरकण संख्या 104 में दर्ज साबिक खसरा नम्बर जिसके बने हाल खसरा नम्बर में भी अविधिक रूप से वादीगण के पूर्वज के नाम दर्ज 1/5 हिस्से की बजाय वादीगण को 1/2 हिस्से का गलत रूप से खातेदार उदघोषित करते हुए खातेदार दर्ज करने का अविधिक आदेश पारित किया गया है।

प्रदर्श पी 3 में दर्ज साबिक खसरा नम्बर जिसका कुल रकबा 40 बीघा 9 बिस्वा है, नामान्तरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तकरण बिना सक्षम न्यायालय के आदेश या बिना सक्षम अधिकारी अधिकारी या बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज के बाहर जाकर अंकन किया गया है, उक्त नामान्तकरण को किस आदेश से भरा गया है व किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है इसका भी कोई उल्लेख उक्त नामान्तकरण में नहीं है।

उक्त अविधिक नामान्तरकरण में प्रतिवादीगण के पूर्वज कल्याण, काल्या, रामसहाय एवं सावंलराम पुत्र बलदेव की नामान्तकरण की पुष्ट पर सहमति अंकित करते हुए प्रतिवादीगण के चारो पूर्वजों के साथ रामकरण पुत्र गंगाराम को उनके साथ बराबर का खातेदार अंकित करने का अंकन है। उक्त अंकन में प्रतिवादीगण के पूर्वजों के किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं है व सहमति बाबत भी कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है उक्त नामान्तकरण का अवलोकन करने पर यह प्रतीत नहीं होता है कि उक्त नामांतरकण तत्समय स्वीकृत हुआ या अस्वीकृत है। उक्त अविधिक नामान्तकरण की पालना में उक्त नामान्तकरण के बाद मुर्तिब की गई जमाबंदीयों में खातेदार के कॉलम में प्रतिवादीगण के पूर्वज कल्याण, काल्या, रामसहाय एवं सावंलराम पुत्रगण बलदेव के साथ 1/5 हिस्से का खातेदार वादीगण के पूर्वज रामकरण पुत्र गंगाराम दर्ज किया गया जो भी पूर्णतया अविधिक एवं गैरकानूनी है तथा प्रदर्श पी 12 जमाबंदी में वर्णित खाता संख्या 25 कुल किता 08 कुल रकबा 13 बिघा 12 बिस्वा भूमि में ही वादीगण जमाबंदी में दर्ज नामांतकरण संख्या 104 दिनांक 25.12.1964 के आधार पर वादीगण के पूर्वज का 1/5 हिस्सा दर्ज होने के आधार पर नामांतकरण संख्या 104 मे दर्ज साबिक खसरा नम्बर जिसके मिलान में बने हाल खसरा नम्बर पर ही वादीगण के पूर्वज व वादीगण का 1/5 हिस्सा अंकित होना चाहिए था।

समस्त प्रदर्शो के अवलोकन से स्पष्ट है प्रदर्श पी 12 में दर्ज साबिक खसरा नम्बर की भूमि पर वादीगण के पूर्वज रामकरण पुत्र गंगाराम की स्वअर्जित होकर 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों कल्याण, काल्या, रामसहाय एवं सावंलराम पुत्रगण बलदेव का 4/5 हिस्सा साबित होता है,

प्रदर्श पी 14 जमाबंदी संवत 2009 से 2012 में दर्ज साबिक खसरा नम्बर जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व/लागू होने के समय का है। जिसमें प्रतिवादीगण/अपीलांटस के पूर्वज कल्याण, काल्या, रामसहाय एवं सावंलराम पुत्रगण बलदेव की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से स्वअर्जित आराजीयात होना साबित है, उक्त वादग्रस्त प्रदर्श में दर्ज वादग्रस्त

आराजीयात जिसके मिलान में बने हाल खसरा नम्बर में वादीगण/रेस्पोडेन्टस का किसी प्रकार से कोई हक अधिकार नही होना साबित हैं।

सेटलमेंट विभाग द्वारा समय समय पर बनाई गई जमांबदियों व हाल जमाबंदी में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात अतिम चौसाला आधार संवत 2076–69 की जमाबंदी खाता संख्या 81 कुल करबा 13.67 हैक्टर में वादीगण को गलत रूप से कानूनी प्रावधानों एवं पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों से परे जाकर अपीलांट की अधीनस्थ न्यायालय में गलत तामिली को आधार बनाकर मृत व्यक्तियों की कायम मुकाम कार्यवाही किये बिना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट में धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को आधार बनाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए विधिक प्रक्रिया को अपनाये बिना अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अविधिक निर्णय एवं डिक्री पारित किया है जो खारिज योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर, बोली द्वारा प्रकरण संख्या 61/2020 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.09.2021 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वे अपीलांटस/प्रतिवादीगण को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुए जवाब दावा लेकर तनकीयात कामय करे एवं तनकीयात पर साक्ष्य लेकर तनकीयों का साक्ष्य व राजस्व दस्तावेजात के आधार पर विस्तृत विवेचन करते हुए विधिसंगत एवं न्यायसंगत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर